

निजी योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) ने मध्यम वर्गीय भूखण्ड आवंटन के द्वारा राजस्थान के कई शहरों / गाँवों में जैसे कि केशवाना, कोटपुतली, अलवर, जयपुर में पर्यावरण के अनुकूल तथा मध्यम वर्ग के लिए हितकारी परियोजनाओं का विकास भी कार्यान्वयन कर रहे हैं। अपनी सक्रिय परियोजनाओं की ओर से अग्रसर होते हुए योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) ने अपनी वर्तमान योजना के प्रथम चरण में मध्यम वर्गीय भूखण्ड आवंटन के अंतर्गत सरकार द्वारा चलायी गई विभिन्न परियोजनाओं से प्रेरित होकर केशवाना में भारतीय सेना / अर्द्धसैनिक बलों के व्यक्तियों एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के विकास के प्रति अपनी भागीदारी रखते हुए अफोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी से प्रेरित होकर मध्यम व निम्नश्रेणी को भूखण्ड की योजना आरम्भ की जा रही है। इस योजना को योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) के द्वारा विकसित किया जा रहा है और योजना के अंतर्गत योजनाकर्ता का प्रयास है कि भारतीय सेना / अर्द्धसैनिक बलों के व्यक्तियों एवं मध्यम आयवर्ग के परिवारों के उचित मूल्य पर आवासीय प्लॉट दिए जाए।

1. योजना :

- (i) योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) ने सरकार कि अफोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी से प्रेरित होकर मध्यम वर्ग, अध्यापको, सरकारी कर्मचारी, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके परिवार को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में भूखण्ड आवंटन केशवाना राजपूत तहसील / जिला कोटपुतली – बहरोड़ (राजस्थान) में पर्यावरण के अनुकूल हितकारी परियोजना का विकास आरम्भ कर रहे हैं।
- (ii) अफोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी से प्रेरित होकर यह भूखण्ड निजी तौर पर विकसित परियोजना में रखे हुए भूखण्डों की योजना है जिसके आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।
- (iii) इस योजना के अन्तर्गत भूखण्डों की कीमत का विवरण भुगतान तालिका में दिया गया है।

2. पात्रता :

- (i) आवेदक यदि (Domicile) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर सके तो शपथ पत्र (एफीडेविट) जो नोटेरी से सत्यापित हो या राशनकार्ड / फोटो पहचान पत्र / वोटर आई.डी. / आधारकार्ड आदि भी दिया जा सकता है।
- (ii) आवेदक के स्वयं के परिवार की सकल मासिक आय (पति / पत्नी एवं आश्रितों की आय) वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी कुल आय में सभी स्रोतों से अर्जित हुई आय होगी।
- (iii) आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदक पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- (iv) आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 'KYC' मानकों का पालन किया है।

3. आरक्षित दर :

- (i) समस्त योजना की आरक्षित दर 8999/- रू प्रति वर्ग गज है।
- (ii) आन्तरिक विकास शुल्क 499/- रू प्रति वर्ग गज है।
- (iii) बाहरी विकास शुल्क 99/- रू प्रति वर्ग गज है।

4. टिप्पणी :

- (i) यदि आरक्षित श्रेणी के संबंध में भूखण्डों की संख्या अंश (Fraction) में अर्थात् 0.5 से कम आती है तो पूर्णांक में बदलकर शून्य और यदि 0.5 या इससे अधिक आती है तो पूर्णांक में बदलकर एक कर दिया जाएगा। लेकिन कुल भूखण्डों की संख्या आरक्षित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

5. आवेदन कैसे करें :

- (i) इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार पूर्ण प्रबंधक शुल्क / आवेदन पत्र शुल्क एवं पंजीकरण राशि प्रत्येक आवेदन के साथ योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) के नाम से जमा करानी होगी:-

क्र. सं	प्रबंधक शुल्क/आवेदन पत्र शुल्क	पंजीकरण राशि
1.	1000/-	20,000/-

- (ii) समस्त आवेदकों द्वारा जमा करवाया गया प्रबंधक शुल्क आवास लागत में सम्मिलित नहीं होगा एवं न ही लौटाया जाएगा। सफल आवेदकों की पंजीकरण राशि को आवास की लागत में समायोजित किया जाएगा एवं असफल आवेदकों को सम्पूर्ण पंजीकरण राशि वापस लौटा दी जाएगी।
- (iii) आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैंक खाते में हो) बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंकों सहित) तथा IFSC Code, बैंक के नाम एवं ब्रांच को स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
- (iv) बैंकर्स चेक / ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, फोन नं०, आवेदन पत्र नं० (Application No.) आवश्यक रूप से अंकित करें।
- (v) पंजीकरण राशि एवं प्रबंधक शुल्क (नोन रिफण्डेबल) विकासकर्ता यानि (GSIPL - INVESTOR HUB) के पक्ष में बैंकर्स चेक / डी0 डी0 / पेय आर्डर / ओनलाईन ट्रांसफर / पे. टी. एम. / फोन पे / गुगल पे के द्वारा फार्म के साथ जमा करानी होगी।
- (vi) आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इस योजना के अन्तर्गत भूखण्ड लेना चाहता है केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें किसी भी आवेदक अशक्त है। ऐसे मामले में आवेदक अपने संरक्षक के माध्यम से आवेदन कर सकता / सकती है।
- (vii) किसी भी सशर्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (viii) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पत्र विवरण पुस्तिका में संलग्न है तथा इसको भरते समय पूरी सावधानी बरते और आवेदन पत्र में अपनी सम्पर्क सूत्र की जानकारी साफ साफ भरे।
- (ix) आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि केवल बैंक चेक / पेय आर्डर / ओनलाईन ट्रांसफर / पे. टी. एम. / फोन पे / गुगल पे अथवा ड्राफ्ट द्वारा ली जाएगी।
- (x) योजना किसी आवेदक की ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमाकर्ता की त्रुटि से कम्पनी के खाते में जमा होगी।
- (xi) यदि किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका आवेदन / आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और उस दिन तक जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

6. आरक्षित श्रेणी के लिए

- (i) यदि आवेदक अनसुचित जाति / अनुसुचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से संबंध रखता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) यदि आवेदक अशक्त व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करता है तो उसे सरकारी अस्पताल के मैडीकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (iii) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रक्षा मंत्रालय / सशक्त बलों के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(iv) अधि स्वीकृति पत्रकार वे है जिन्हे सरकार / भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हों।

7. आवेदन पत्र प्राप्त करने की विधि :-

- (i) आवेदन पत्र इस पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठ पर दिया हुआ है और यह पुस्तिका योजना के लिए अधिकृत शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है।
- (ii) आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है किन्तु पति-पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण / आवंटन प्राप्त करने वाला आवेदक / आवंटी की मृत्यु पश्चात् मृतक के वारिस / मनोनित व्यक्ति के पक्ष में नियमानुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

8. भूखण्ड आवंटन

- (i) भूखण्डों का आवंटन ड्रा के आधार पर होगा। योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) द्वारा सम्पूर्ण ड्रा एक बार या इससे अधिक बार में किया जा सकता है ड्रा के पश्चात् आवंटन अनुबन्ध योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) व सफल आवंटी के मध्य होगा। आवंटित भूखण्डों का विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) सीमित समय में कराना अनिवार्य होगा।
- (ii) आवंटी को भूखण्डों के आवासीय प्रयोग की ही अनुमति होगी, अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त यदि आवंटी द्वारा भूखण्डों का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा और बेदखली की कार्यवाही की जाएगी।
- (iii) सामान्यतः आवंटी भूखण्ड का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में आवंटी की प्रार्थना पर आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन, उसी योजना की श्रेणी के रिक्त भूखण्ड में मूल्य का 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देने की शर्त पर किया जा सकता है। यह परिवर्तन आवंटित भूखण्ड का विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) एवं कब्जा लेने से पूर्व ही मान्य होगा।
- (iv) सफल आवेदकों की सूची संबंधित योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा 10 दिवस में निर्धारित राशि जमा होने पर भूखण्ड योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) द्वारा आवंटित किये जाने होंगे। अथवा सम्पूर्ण राशि एक मुश्त भी जमा कराई जा सकती है।
- (v) अगर आवंटी ड्रा के बाद बाकी रकम निर्धारित समय/देय तिथि तक जमा नहीं करवाता है तो जमा की गई राशि जब्त हो जाएगी
- (vi) आवेदक के आवेदन पत्र के अनुसार भूखण्ड का साईज आवंटन के समय उपलब्ध ना होने की स्थिति में योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) द्वारा उपलब्ध भूखण्ड साईज की आवंटन किया जायेगा।

9. आवंटन का परिणाम

- (i) ड्रा का परिणाम इन्वेस्टर हब (Investor Hub) के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा।
- (ii) सफल आवंटियों को पत्र एवं आवंटन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / ई-मेल / व्हाट्स-एप से भेजे जाएंगे तथा ड्रा का परिणाम देखने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। आवेदक / आवंटित को मांग पत्र / आवंटन पत्र देर से मिलने / नहीं मिलने के लिए योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) जिम्मेदार नहीं होगा।
- (iii) कुल आवेदन के 50 प्रतिशत के बराबर आवेदकों की एक अलग प्रतीक्षा सूची भी प्राथमिकता के आधार पर घोषित की जाएगी। यह सूची सफल आवेदकों को जारी किए गए मांग पत्रों की तिथि से केवल 6 माह तक वैध होगी। प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों की जमा राशि रद्दीकरण / निरस्तीकरण के उपरान्त पुनः प्राथमिकता के आधार पर आवंटन पश्चात् वापस लौटाई जाएगी।

10. असफल आवेदकों की जमा राशि की वापसी

- (i) आवेदक ने आवेदन-पत्र जहाँ/जिसके द्वारा जमा कराया है, उन्ही के द्वारा ही वापस किया जाएगा सम्बंधित योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) असफल आवेदकों को वापसी के चैक भेजने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) जिम्मेदार नहीं होगा।
- (ii) जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक से बैंक विवरण आवेदन पत्र में भरने चाहिए।
- (iii) अगर आवेदक चाहे तो इस राशि को योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) की अन्य परियोजना में निवेश कर सकता है। उसके लिए सिर्फ एक आवेदन देकर आने वाली परियोजना में जमा हो जाएगा।

11. भूखण्ड लौटाना / रद्द करना

- (i) सफल आवेदकों के पास आवंटन पत्र जारी किए जाने से पूर्व भूखण्ड को लौटाने का विकल्प होगा।
- (ii) निर्धारित अवधि के अन्दर पूरा भुगतान न किए जाने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। इस उद्देश्य हेतु कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।
- (iii) उपरोक्त दोनों मामलों में जमा राशि निर्धारित रद्दकरण प्रभाव निम्नअनुसार वसूल किया जाएगा।

क्र.स.	मांग पत्र जारी होने की तिथि से निम्न लिखित दिनों के अन्दर लौटाना/रद्द कराना	राशि रूपये में
1.	मांग पत्र जारी होने से पहले	21,000/-
2.	आवंटन के पश्चात कुल जमा राशि का	50%

- (iv) ड्रा के 120 दिवस के अन्दर आवेदक विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) नहीं कराता है तो जमा की गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी इस जब्त कि गई राशि के लिए आवेदक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाएंगे।

12. भूखण्ड लौटाने / रद्द करने के मामले में राशि वापस प्राप्त हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

- (i) मूल आवंटन / मांग पत्र
 - (ii) बैंक विवरण की प्रति
 - (iii) आवासीय पता (परिवर्तन की स्थिति में आवास प्रमाण)
 - (iv) बैंक द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र।
- नोट:- राशि की वापसी रद्दकरण प्रभाव की कटौती के बाद की जाएगी।

13. निम्न कारणों / नियमों में भरे हुए पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे या निरस्त कर दिये जायेंगे। जिनके लिए योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) जिम्मेदार नहीं होगा:-

- (i) आवेदन का स्वयं का बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम, शाखा एवं शहर अंकित नहीं होने की दशा में
- (ii) आवेदक द्वारा नियम के विरुद्ध एवं गलत तथ्य (आरक्षित वर्ग, कम पंजीकरण राशि आदि) भरने पर ड्रा में प्लॉट निकलने के बावजूद भी आवंटित प्लॉट निरस्त कर दिया जायेगा।
- (iii) अव्यस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र भरने पर।
- (iv) आवेदन पत्र अपूर्ण एवं स्पष्ट नहीं भरने पर।

(V) योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) द्वारा अन्य कोई पर्याप्त कारण।

14. निरस्तीकरण उपरांत बहाली प्रक्रिया:

(i) भूखण्डों में निरस्तीकरण उपरान्त यदि आवेदक भूखण्डों का आवंटन पूर्वजीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अंदर चाहे तो भूखण्ड के आवंटन बहाली के समय योजना में लागू वर्तमान भूमि दर से भूखण्ड का मूल्यांकन करके वर्तमान मूल्य पर भूखण्ड बहाल किया जा सकेगा।

15. भुगतान प्रक्रिया :

(i) भूखण्डों की श्रेणीवार उपलब्ध मूल्य आवेदन राशि एक माह के अंदर देय आवंटन राशि तथा अनुमन्य किस्तों का विवरण पुस्तिका में संलग्न तालिका से दिया गया है। आवंटन धनराशि तथा किस्तों से संबंधित धनराशी का चैक अथवा ड्राफ्ट (GSIPL - Investor Hub) के पक्ष से जमा करना होगा।

(ii) भुगतान विधि तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित आवंटन धनराशि अदा करने की दशा में निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड / ब्याज (18% वार्षिक) के साथ अदा न करने पर आवंटन अनिवार्यतः निरस्त कर दिया जाएगा।

(iii) भूखण्डों की विज्ञापित संख्या, स्थिति, क्षेत्रफल तथा दर्शाया गया मूल्य अनुमानित है इनमें जो प्रदर्शित अनुमानित मूल्य के अतिरिक्त लागू मैन रोड, कॉर्नर, पार्क फेसिंग तथा 9 मीटर चौड़े रोड़ एवं इसमें अधिक चौड़े रोड़ खुलने वाले भूखण्ड के मूल्य का चार्जस क्रमशः 10 प्रतिशत पृथक-पृथक से देय होंगे। दो गुणों वाले भूखण्डों में से चार्जस अलग-अलग आंकलित न करके एक साथ भूखण्ड की कीमत का 15 प्रतिशत व 3 गुणों वाले भूखण्ड से 20 प्रतिशत लिया जाएगा। किसी भूखण्ड के साथ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रचलित नियमों के अनुसार मूल्य पृथक से देय होंगे।

(iv) भूखण्डों की किस्तों को आरम्भ हो जाने से पश्चात् न्यूनतम दो किस्तों की अदायगी समय से न किए जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

(v) विद्युतीकरण एवं पानी के कनेक्शन शुल्क की लागत स्वयं आवंटी को वहन करनी होगी।

(vi) रखरखाव शुल्क भी प्रार्थी को अलग से देना होगा जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5 रुपये प्रति वर्ग गज प्रति माह होगी। जो कि निम्नतम 1 वर्ष व अधिकतम 2 वर्ष का अग्रिम शुल्क योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) रखरखाव ऐजन्सी को देना होगा। इस पर अतिम निर्णय योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub)का ही होगा।

16. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें :-

(i) योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) द्वारा आवंटी के नाम आवंटित भूखण्ड का आवंटन कब्जा पत्र तैयार कर दिया जाएगा।

(ii) आवंटी को पंजीयन / रजिस्ट्री का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) द्वारा दिया जाएगा।

(iii) भूखण्ड आवंटी को, भूखण्ड आवंटन के दस साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड को आवंटन स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा। इसके साथ ही उसके द्वारा जमा कराई गई राशि भी जब्त समझी जाएगी।

(iv) आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा, अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किए गए भूखण्ड को पुनः विभाजित अथवा एकाधिक भूखण्ड को मिलाकर एक बड़ा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकेगा।

- (v) योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।
- (vi) किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) का निर्णय अन्तिम होगा।
- (vii) किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला कोर्टपुतली-बहरोड़ (राजस्थान) ही होगा।

17. निबंध प्रक्रिया :-

- (i) आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवं भविष्य में अनुपालन करना होगा।
- (ii) यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनार्यें देकर अथवा तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गई आवेदन / आवंटन धनराशि का शत -प्रतिशत जब्त कर ली जायगी।
- (iii) आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित नये पते की सम्पूर्ण जानकारी आवेदन द्वारा देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत / अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में योजनाकर्ता द्वारा दिए गए पत्राचार की जानकारी आवेदक / आवंटी को होने वाली क्षति के लिए योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) उत्तरदायी नहीं होगी।
- (iv) नियम तिथि को अपनी जमा पंजीकरण धनराशि को मूल रसीद लेकर ही शामिल होने हेतु उपस्थित होने अन्यथा ऐसे आवेदकों जिनके पास जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी उन्हें शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- (v) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) के क्षेत्राधिकार में होगा।
- (vi) आवेदन प्रक्रिया आवंटन धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) का निर्णय अन्तिम होगा।
- (vii) उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लेखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषय वर्णित किसी भी शर्त / नियम को शिथिल / संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।
- (viii) इस योजना के अंतर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी और योजनाकर्ता / विकासकर्ता / विक्रेता इन्वेस्टर हब (Investor Hub) पर बाध्य होगा।
- (ix) आवेदक ने इस आवेदन पत्र में लिखित सभी नियम एवं शर्तें पढ़कर समझ लिये हैं। ओर आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है एवं आवेदक इसके लिए बाध्य होगा।